बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

एस0ओ0–

पटना, दिनांक–

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा–22(एच) सह पठित बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 284(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निबंधित निर्माण कामगारों एवं उनके आश्रितों के हितार्थ नई योजना **''वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना''** को प्रारम्भ करने का निम्नरूपेण प्रावधान करती है :–

1. प्रत्येक निर्माण श्रमिक, जो बोर्ड के सदस्य हैं, इस योजना के पात्र होंगे।
2. इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक योग्य निर्माण श्रमिक द्वारा वर्ष में एकबार सहायता प्राप्त किया जा सकता है।
3. प्रत्येक योग्य निर्माण श्रमिक के परिवार को इकाई मानकर प्रत्येक वर्ष एकमुश्त धनराशि ₹3000/– (रूपये तीन हजार) उनके बैंक खाते में अन्तरित किया जाएगा।
4. यदि पति पत्नी दोनों निबंधित निर्माण श्रमिक हैं तो एकमुश्त ₹3,000/–(रूपये तीन हजार) धनराशि केवल पत्नी के बैंक खाते में अन्तरित की जाएगी।
5. इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य निर्माण श्रमिक द्वारा श्रम संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत आवश्यक कागजात के साथ आवेदन दिया जा सकता है।

बी0सी0डब्लू0सी0–18/2016 श्र0सं0– 902 पटना, दिनांक– 01.10.2018

बिहार राज्यपाल के आदेश से

1.10.18

(सतीश कुमार शाही)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक–एक प्रति प्रत्येक सदस्य तथा व्यक्ति को अग्रसारित किया जाय।

अधिसूचना

एस0ओ0–

पटना, दिनांक–

का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

बी0सी0डब्लू0सी0–18/2016 श्र0सं0– 902 पटना, दिनांक– 01.10.2018

बिहार राज्यपाल के आदेश से

1.10.18

(सतीश कुमार शाही)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

Government of Bihar

Labour Resources Department

Notification

S.O. Dated:-

In exercise of the power conferred by section 22(h) of the Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996), and Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2016, the Government of Bihar makes following provisions to initiate new scheme – "**Annual Medical Assistance Scheme**" for the welfare of registered Construction Workers and their dependents:-

1. Every construction worker, who is a member of the Board, will be eligible for this scheme.
2. In this scheme, every eligible construction worker can get the benefit once in the year.
3. Considering the family of every eligible worker as a unit, an amount of Rs. 3,000/-(Three thousand) in toto will be transferred in the account of every eligible construction workers.
4. The amount of Rs. 3,000/-(Three thousand) in toto will be transferred in the bank account of only female construction workers, if both wife and husband are registered construction workers.
5. For assistance of this scheme, the eligible construction worker may apply in prescribed process along with essential documents in the regional offices of Labour Resources Department.

No. BCWC-18/2016 LR- 902 Patna, Date- 01.10.2018

By order of the Governor of Bihar,

1.10.18

(Satish Kumar Shahi)

Under Secretary.

Labour Resources Department, Bihar

ज्ञापांक–बी0सी0डब्लू0सी0–18/2016 श्र0सं0- 902 पटना, दिनांक- 01.10.2018

प्रतिलिपि :- ई–गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1.10.18

(सतीश कुमार शाही)

सरकार के अवर सचिव,

श्रम संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक–बी0सी0डब्लू0सी0–18/2016 श्र0सं0-902 पटना, दिनांक- 01.10.2018

प्रतिलिपि :- सरकार के सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1.10.18

(सतीश कुमार शाही)

सरकार के अवर सचिव,

श्रम संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक–बी0सी0डब्लू0सी0–18/2016 श्र0सं0–902 पटना, दिनांक–1.10.2018
प्रतिलिपि :– आई0टी0मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1.10.18

(सतीश कुमार शाही)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार